

**बिहार कर्मचारी चयन आयोग,**

पी0-वेटनरी कॉलेज, पटना-14

**नगर निकायों में नगर प्रबंधकों के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन**

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिनांक-21.11.2016 से 19.12.2016 तक

विज्ञापन संख्या-21010116 नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के अर्न्तगत राज्य स्तरीय नगर प्रबंधक के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑन-लाईन आवेदन आयोग के वेबसाईट <http://bssc.bih.nic.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

**कुल रिक्तियाँ:-152 (एक सौ बावन)**

अनुसूचित जाति	-	24
अनुसूचित जनजाति	-	02
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	-	27
पिछड़ा वर्ग	-	18
पिछड़ा वर्ग की महिला	-	05
(पि0व0 महिला-3,अतिपि0व0 महिला-2)		
अनारक्षित	-	76

वेतनमान-9300-34800, पी0बी0-02 + ग्रेड-पे 4200

**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-**मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर/PGDM अथवा नगर प्रबंधन/निवेशन एवं विकास में स्नातकोत्तर।

**तकनीकी योग्यता:-** मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर/PGDM अथवा नगर प्रबंधन/निवेशन एवं विकास में स्नातकोत्तर।

**उम्र सीमा :-** दिनांक-01.08.2015 के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(1.) आयु न्यूनतम- 21 (इक्कीस) वर्ष।

सामान्य प्रशासन विभाग के (पूर्व में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) संकल्प संख्या-294, दिनांक-07.01.2016 के अनुसार अधिकतम-(1) अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष। (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष। (3) अनारक्षित (महिला)- 40 वर्ष। (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष।

(2.) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-8025 दिनांक-21.05.2013 के आलोक में संविदा पर पूर्व से नियोजित नगर प्रबंधकों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जा सकेगी।

(3.) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374 दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है। साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(4.) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो।

**चयन की प्रक्रिया :-**

आयोग सुयोग्य अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् लिखित परीक्षा एवं अनुभव (संविदा पर नगर प्रबंधक के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए) के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा। सीधी भर्ती के लिए कुल 100 अंक अवधारित किये जायेंगे। लिखित परीक्षा 100 प्रश्नों की आयोजित की जायेगी एवं प्रत्येक प्रश्न 0.70 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए 0.70 अंक दिये जायेंगे एवं गलत उत्तर हेतु 0.70/4 अंक काटे जायेंगे।

इस प्रकार कुल 100 अंकों में से 70 अंक लिखित परीक्षा के लिए अवधारित किये जायेंगे। नगर प्रबंधक के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत अभ्यर्थियों को अनुभव के लिए प्रति वर्ष 10 अंक एवं अधिकतम 30 अंक दिए जायेंगे।

लिखित परीक्षा:- 70 अंक  
अनुभव के लिए:-30 अंक (प्रति वर्ष के लिए 10 अंक अधिकतम 30 अंक)  
कुल- 100 अंक

परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम निम्नलिखित है:-

Section	Description	Marks
(A)	(i) Public Administration organizational behavior & personal management.	25
	(ii) Indian History, Culture & Geography with special reference to Bihar.	10
(B)	(i) General Science	10
	(ii) Indian History, Culture & Geography with special reference to Bihar.	10
(C)	(i) Indian polity & Indian Economy	10
	(ii) General mental ability	05
<b>Total</b>		<b>70</b>

### Description

Questions on public administration & management will include personnel management, Development Administration and other managerial issue relating to administration.

In current events, knowledge of significant national and international events will be tested.

General Science will cover general appreciation and understanding of science including matter of everyday observations and experience, as may be expected of a well educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline.

In history of India, emphasis will be on broad general understanding of the subject in its social economic and political aspects with special reference to Bihar. Question on the Indian history and National Movement will relate to the history of India during ancient and medieval times, the nature and character of the nineteenth century resurgence, growth of nationalism and attainment of independence. In Geography, emphasis will be on Geography of India with special reference to Bihar. Questions on the Geography of India will relate to physical, social and economic Geography of the country, including the main features of Indian agricultural and natural resources.

Questions on Indian Polity and Economy will test knowledge of the country's political system and Constitution of India, Panchayati Raj, social Systems and economic developments in India.

In general mental ability, the candidates will be tested on reasoning and analytical abilities.

### क्वालीफाइंग मार्क्स :-

लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक निम्नांकित है :-

सामान्य वर्ग	-	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	-	36.5 प्रतिशत
अ0पि0वर्ग	-	34 प्रतिशत
अनु0जाति/जनजाति	-	32 प्रतिशत
महिला वर्ग	-	32 प्रतिशत

### परीक्षा शुल्क:-

- (क) सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी-750 रुपये ।  
(ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए)-200 रुपये ।  
(ग) बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु -750 रुपये ।  
(घ) सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए (अनु० जाति / जनजाति के समान)-200 रुपये ।

परीक्षा शुल्क जमा करते समय परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगा । यथा ऑनलाइन (Credit Card / Debit Card / Netbanking) माध्यम से रुपये 750 की परीक्षा शुल्क पर रुपये 25.88 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 775.88 रुपये देय होगा । उसी प्रकार ऑनलाइन (Credit Card / Debit Card / Netbanking) माध्यम से रुपये 200 की परीक्षा शुल्क पर रुपये 06.90 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 206.90 रुपये देय होगा । एस० बी० आई बैंक चालान के माध्यम से रुपये 750 की परीक्षा शुल्क पर रुपये 50 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 800.00 रुपये देय होगा । बैंक चालान के माध्यम से रुपये 200 की परीक्षा शुल्क पर रुपये 50 अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर सहित अभ्यर्थी द्वारा कुल 250.00 रुपये देय होगा ।

अभ्यर्थी ऑनलाइन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से दिनांक-21.11.2016 से 21.12.2016 तक अथवा SBI के चालान के माध्यम से दिनांक- 21.11.2016 से 20.12.2016 तक की निर्धारित अवधि में समर्पित करेंगे । अन्य किसी माध्यम से भेजा गया शुल्क मान्य नहीं होगा । अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क अदा करने से संबंधित प्रमाण पत्र (पावती रसीद) अपने पास सुरक्षित रखेंगे एवं आयोग द्वारा माँगे जाने पर समर्पित करेंगे ।

परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किये जायेंगे, साथ ही साथ अहस्तांतरणीय होंगे ।

### आरक्षण:-

(i) ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा एवं उन्हें सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी में रखा जायेगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70, दिनांक-11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 (मूल) के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देय है ।

(ii) पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र जिसमें क्रीमिलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो, मान्य होगा । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा । ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु काउन्सिलिंग के समय पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा । अभ्यर्थी आवेदन-पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हों उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे । ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि के आरक्षण का लाभ लेना है, उन्हें काउंसिलिंग के समय विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के एक वर्ष के अन्दर का निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(iii) ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा ।

(iv) परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो अभ्यर्थी जिस आरक्षण श्रेणी में होंगे, वही मान्य होगा । यदि आरक्षण श्रेणी में परीक्षा प्रक्रिया की अवधि में कोई परिवर्तन होता है तो वह मान्य नहीं होगा ।

(v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प संख्या-62, दिनांक-05.01.2007 के प्रावधान के आलोक में विकलांगों को 3 प्रतिशत (1% दृष्टि निःशक्तता, 1% मूकबधिर निःशक्तता तथा 1% चलन निःशक्तता) आरक्षण देय है । यदि किसी रिक्ति के किसी उपर्युक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के

कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जायेगा तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगले वर्ष में अग्रणित की जायेगी ।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-11/आ0नी0-I-10/2015 सा0प्र0-13185 पटना-15, दिनांक-03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाना है, अर्थात् चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी ।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 के अनुसार बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा । 50 प्रतिशत मेरिट तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के आधार पर नियमानुसार चयन सूची तैयार करने के उपरांत महिलाओं की संख्या स्वतः 35 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में इसे यथावत् रखा जायेगा

**अन्य:-** (i) किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा और यह अंतिम होगा । वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा बुलावा पत्र (Call letter) निर्गत किया जायेगा । बुलावा-पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी । किसी उम्मीदवार के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/अपात्रता के विन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(ii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा ।

(iii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात् Submit करने से पूर्व उसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर लें सभी प्रविष्टियाँ ठीक से भरी गई हैं । ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर देने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जा सकेगा ।

(iv) अभ्यर्थी आवेदन-पत्र को Submit करने के पूर्व Preview देखकर संतुष्ट हो लेंगे, एवं यदि कोई सुधार आवश्यक हो, तो Edit option में आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन-पत्र को Submit करेंगे ।

**अंतिम तिथि:-** ऑनलाईन आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक- 21.11.2016 से 23.12.2016 की रात्रि 12:00 बजे (Server Time) तक निर्धारित है । अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

सचिव  
15/11/16

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।